

(भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 2 में प्रकाशनार्थ)

संख्या-13017/11/2015-अ.भा.से.(I)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक, 20 मई, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश तथा झारखण्ड सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री वरूण रंजन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (यूपी:14) को श्रीमती नैन्सी सहाय, भारतीय प्रशासनिक सेवा (जेएच:14) से विवाह करने के आधार पर उत्तर प्रदेश संवर्ग से झारखण्ड संवर्ग में स्थानांतरित करती है।



(एस. एस. शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद (हरियाणा)